फर्द अहकाम

रामचन्द्र बैरवा बनाम भगवान सहाय वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या/ 60/ 2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.07.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब आने तक आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला पटवार हल्का कपूरावाला भू0अ0नि0क्षे0 मुहाना तह0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान् 11, 149/1, 1534/4, 1537/142, 1539/43, 1541/147, 1543/154, 1545/21, 156, 20/1, 9 के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में 19.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 4794-97 डाक
	12/7/2024	पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा की विज्ञप्ति सुनी जाने का कार्य होने पर तलब की गई प्रार्थी एवं अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर स्थगन [illegible] प्रार्थी को [illegible] प्रार्थी [illegible] को अग्रिम दी जाती है [illegible] इसी स्तर पर [illegible] पत्रावली मौसल [illegible] के बाद नामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	रायचर (जाबी) Rabb Ven (बेदप्रकाश शर्मा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:42:28 IST
Reason: SelfAttested